(वाद सं०–3413/4/39/2022)

29.09.2023

प्रसंगाधीन मामला कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, हाजीपुर में कार्यरत्त चौकीदार एवं मौसमी कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक का ससमय भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित परिवादी, हेमन्त कुमार, के परिवाद से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, हाजीपुर में कार्यरत्त चौकीदार एवं मौसमी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में विलम्ब हुआ था। प्रतिवेदनानुसार, सभी कर्मचारियों को जनवरी 2022 में उनके वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग द्वारा दिनांक–04.07.2021 को जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर से इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन की माँग की गयी कि परिवादी, हेमन्त कुमार, को उनके परिवाद पत्र में उल्लेखित अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है अथवा नहीं तथा उन्हें अद्यतन पारिश्रमिक का भुगतान हो रहा है अथवा नहीं।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र में उल्लेखित अवधि में उनके द्वारा किये गये कार्य दिवस के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है तथा उक्त अवधि के बाद परिवादी से कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है। उपरोक्त प्रतिवेदन के साथ कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, हाजीपुर के दिनांक–14.01.2022 के कार्यालय आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि परिवादी, हेमन्त कुमार,

सहित 04 अकुशल मजदुरों को उनके बचत खाता में उनके पारिश्रमिक का भुगतान CFMS के माध्यम से कर दिया गया है।

अब जबकि परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा निराकरण किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 19–17/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव